कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए/उवसं/2017–18/ 557 दिनांकः– 10.1.18

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

विषयः– ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में ओ.एच.एस.आर. के निर्माण हेतु 0.0225 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में।

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ14(पीएचईडी)/2017/एफसीए/प्रमुवसं/4598 दि.27.12.2017 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 26 दि.01.01.2018 के क्रम में।

———

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.11.2017 के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में टिप्पणी चाही गई हैं जो अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम/ 558 दिनांकः– 10-1-18

1. प्रतिलिपि प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक
अजमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

बीफ़ नोट

ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में ओ.एच.एस.आर. के निर्माण हेतु 0.0225 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही का विवरण

1 प्रस्ताव ओएसएमएफसीपी की वेबसाईट पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड किये जाने पर दिनांक 04.10.17 को प्रस्तावित क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया।

2 मौका निरीक्षण के समय प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ पाया गया। प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि से उक्त क्रम में वार्ता करने पर उन्होने बताया कि उक्त क्षेत्र में सीमाज्ञान नही होने के कारण उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया। उक्त कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में होने पर प्रयोक्ता अभिकरण को तुरन्त प्रभाव से कार्य बन्द कराने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, अजमेर के पत्रांक 1042–43 दि.04.10.2017 द्वारा सूचित किया जाकर गैर वानिकी कार्य रूकवा दिया गया। उक्त क्षेत्र में पूर्व से ही मीनार/पक्की दीवार के अभाव में हल्का स्टॉफ द्वारा एक लगभग रेखा, जो कि पहाड़ी के सटके हैं, को सीमारेखा मानते हुए प्रोटेक्शन की जा रही थी। उक्त क्षेत्र वनभूमि हैं, का पता हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त सीमाज्ञान से ही ज्ञात हुआ। अतः इसमें किसी भी वनकर्मी द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

3 इस कार्यालय के पत्रांक 12298 दि.23.11.2017 द्वारा क्षेत्रीय अजमेर को पत्र प्रेषित कर प्रयोक्ता अभिकरण के ठेकेदार द्वारा वनक्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर गैर वानिकी कार्य करने पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एवं जुर्माने के रूप में काटी गई एफ.आई. आर. की प्रति चाही गई।

4 क्षेत्रीय अजमेर के पत्रांक 1237 दिनांक 30.11.2017 द्वारा एफ.आई.आर. की प्रति एवं रवन्ना बुक नं. 210 पेज नं.5 दिनांक 29.11.2017 राशि 10000/– रू. (वसूल की गई जुर्माना राशि) की प्रति भिजवायी गई।

5 क्षेत्रीय अजमेर द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य रूकवा दिया गया हैं एवं वनक्षेत्र में गैर वानिकी कार्य बिना नियमानुसार स्वीकृति के किये जाने पर जर्माने के रूप में राशि 10000/– रू. प्राप्त कर उसे राजकोष में जमा करा दिया गया हैं।

6 प्रकरण में क्षेत्रीय अजमेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के क्रम में की गई कार्यवाही अधोहस्ताक्षरकर्ता की रॉय में उचित प्रतीत होती है।

7 प्रकरण जनहित से जुड़ा होने के कारण नियमानुसार स्वीकृति की अभिशंषा की जाती है।

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर